न्यायिक मामले/
अतिमहत्वपूर्ण

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

E-mail पत्रांक – प्र04/उ0न्या0– 41/2015– 5024   खाद्य, पटना/दिनांक– 01-07-15

प्रेषक,

एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– CWJC No. 14940/2006 (लक्ष्मी प्रसाद यादव बनाम राज्य सरकार) के अन्तर्गत दिनांक–09.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग का पत्रांक–2077 दिनांक–24.03.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में उल्लिखित कंडिका–3, 5 एवं अन्तिम कंडिका के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, जिससे प्रतिवेदन विधि विभाग को भेजा जा सके।
अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/- 1/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2012\sec-04\Court letter.doc.anup

पत्र सं0-पी0/प0जे0-57/2012 2077 /जे0

दिनांक 09.03.2015 द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन नही होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा सुनवाई के अगली तिथि-08.04.2015 के पूर्व मुख्य सचिव, बिहार एवं विधि सचिव को मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन पर व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत मार्च, 2011 से अभी तक की गयी अनुशंसा/कार्रवाई पर विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक-31.03.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय:-

1- उक्त नीति के प्रावधान 2.1 के तहत सभी विभागों में नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिनका मुख्य उद्देश्य मुकदमों की निगरानी तथा प्रभावी प्रबंधन है। नोडल पदाधिकारी द्वारा मुकदमों की निगरानी तथा प्रबंधन के दौरान मुकदमों की संख्या में कमी लाने हेतु कौन-कौन सी सिफारिशें की गयी तथा कब, की प्रति के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

2- प्रावधान 2.4 (बी) के तहत प्रत्येक विभाग में विभाग स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक माह मुकदमों की प्रभावी समीक्षा है तथा इसके अन्तर्गत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है, जिसमें कोई वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलू नही हो। यदि समिति समीक्षा के क्रम में पाती है कि कोई वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लिया जाना आवश्यक है तो अपनी अनुशंसा के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखेगी। इस तरह के कुल कितने मामले विभाग स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष आये तथा समिति द्वारा क्या अनुशंसाएँ की गयी।

3- प्रावधान 2.4(सी), 2.4(डी) के तहत जिला में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं अनुमंडल में अनुमंडलीय स्तर अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। अतएव इन दोनों समितियों के समक्ष अब तक प्राप्त आवेदन की तिथि, निर्णय की तिथि तथा आवेदक को संसूचित आदेश की तिथि से कृपया अवगत कराया जाय।

4- प्रावधान 4.ए(1) के तहत प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण समिति प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित है तथा इस समिति में प्राप्त शिकायत/आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से 8 सप्ताह के अन्दर सकारण आदेश पारित कर आवेदक/शिकायतकर्ता

को संसूचित करने का प्रावधान है। इससे संबंधित प्रतिवेदन भेजते समय आवेदक/शिकायतकर्त्ता का नाम आवेदन प्राप्ति की तिथि, समिति का निर्णय तथा आवेदन/शिकायतकर्त्ता को संसूचित आदेश की संख्या एवं तिथि की प्रविष्टि कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

5- प्रावधान 4(सी) के तहत किसी आवेदक/शिकायतकर्त्ता का मामला माननीय न्यायालय के आदेश से आच्छादित रहने के फलस्वरूप न्यायादेश का लाभ आवेदक/शिकायतकर्त्ता को भी देय होगा तथा उनका दावा इस आधार पर कि वे उक्त याचिका में याची नहीं है, अमान्य/अस्वीकृत नहीं किया जा सकता तथा उन्हें न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करना मुकदमा नीति के प्रावधानों के विपरीत होगा। इस प्रावधान के तहत शिकायतकर्त्ता/दावाकर्त्ता का नाम, आवेदन प्राप्ति की तिथि, विषय, आच्छादित न्यायादेश की संख्या एवं तिथि, समिति का निर्णय एवं शिकायतकर्त्ता/दावाकर्त्ता को संसूचित किये गये आदेश सं0/तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

उपर्युक्त सभी कंडिकाओं, पर प्रतिवेदन दिनांक-31.03.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, साथ ही दिनांक-31.03.2011 (बि0रा0मु0 नीति, 2011 के प्रवृत होने की तिथि) से अद्यतन कितने मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया है तथा कितने मामले अभी प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु लम्बित है, मुकदमावार विस्तृत प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्दर मुख्य सचिव एवं विधि सचिव की ओर से माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जा सके।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,
बिहार।